

SESSION

2019-20



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा रक्खा प्रदान)

Email: - registrarsua@yahoo.co.in Phone: - 07774-222789, Fax: - 07774-222791

क्रमांक: ७ ३३ / अकादमिक / अ.म. / 2019

आमितकापुर, दिनांक ८ / १० / २०१९

आधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय आधिनियम, 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में वाणिज्य संकायांतर्गत व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंध विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संविकाशीन) निम्नानुसार किया जाता है :

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) कोई नहीं

(2) कोई नहीं

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) ✓

श्री भारत लाल कँवर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कोई नहीं

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्री सैयद साबिर अली
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
होली क्रास वूमेन्स कॉलेज,
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. जसप्रीत कौर
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय,
डिगमा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:
बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।

प्रांगण: 02



ADC

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक, उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संरथान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा श्री भारत लाल कँवर, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (चार) के तहत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

अभिवकापुर, दिनांक १५/१०/२०१९

पृ. क्रमांक: ९३४/ अकादमिक / अ.म. / 2019

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।



सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
Alz



संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अमृतकापुर (छ.ग.)

पर्यायवान विभाग: विभागीय विभाग: ब्रह्मण्ड 18/2008 तिथि: 20/09/2016

Email: prashant@sauniv.ac.in Phone: 07774-222780, Fax: 07774-227791

प्राप्ति क्रमांक: 2073 तिथि: 20/09/2016

आधिसूचना

प्राप्ति क्रमांक: 2073 तिथि: 20/09/2016
संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अमृतकापुर (छ.ग.) में समाज विज्ञान सकायात्मक अर्थशास्त्र विषय के लिए अध्ययन केन्द्रों की गोदानीय (उपाधीन) निम्नानुसार किए जाता है।

28 (१) (एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों से के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंग।

(१) कु रजनी सेठिया
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय लाहिडी महाविद्यालय,
चिरमिरी ज़िला - कोरिया (छ.ग.)

डॉ. (श्रीनर्ती) क्रंतेस्त्रिया टोष्णी
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय इयामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,
सीतापुर ज़िला - सरगुजा (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उपर्याक्त अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जाते हैं।

डॉ. प्रेनलठ एका
महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय लाहिडी महाविद्यालय
चिरमिरी ज़िला सरगुजा (छ.ग.)

कु रश्मि पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
अस्पृ प्रताप निहड़ शासकीय महाविद्यालय,
इकरगढ़ ज़िला इलाहाबाद-रामानुजगंज (छ.ग.)



प्राप्ति क्रमांक: 02

बाद में प्रत्यक्षित किया जावे।

आदेशानुसार

Ganba

कुलसचिव

Althusser:
सहायक कुलसचिव (अकादमि) २१-७-८५



कार्यालय आमुक्त उच्च शिक्षा
सी-३, छिंतीय पर्व तृतीय तल, मुख्यालयी भवन,
नशा रायपुर (छ.ग.)

=। अधिसूचना ।=

रायपुर, दिनांक ।। / ।। / 2018

दस्तावेज ।। १५४५ / ३१५/आउशि/समन्वय/2018: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-३४ (ए) को उपधारा-(५) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पर कार्यक एक ।।-१४-११/२०१०/रास/शू. रायपुर, दिनांक ०३.१०.२०१७ को द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-३४ (ए) की उपधारा-(२), (३) एवं (४) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आमुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आमुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा ०३ वर्ष के लिए जीव-विज्ञान सेक्षण अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का नियमनुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तान
३४ (ए)(२)(i) विश्वविद्यालय के उस
विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष

३४ (ए)(२)(ii) कुलाधिपति द्वारा
नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर
स्तर के विभागाध्यक्ष

३४ (ए)(३)(iii) कुलाधिपति द्वारा
नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर
के विभागाध्यक्ष

सदस्य का नाम

- अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रवीशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर
- अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र तुर्ग विश्वविद्यालय, तुर्ग
- अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर
- अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
- अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अधिकापुर, सरगुजा

- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नामांकुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विजिविजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर
विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाहा

- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, बरपाली
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अधिकापुर
- विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धारामा



:: 02 ::

क्रमांक
संख्या
पर्याप्ति
उच्च
शिक्षा
को
नियम
के
पास
की
कृति
का
प्रतिनिधि

34 (ए)(३)(iv) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ

1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक,
शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर
2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाविद्यालय, उत्तई
3. डॉ.ए.ल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक
शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर
4. श्री अमित सिंह दनाफर, सहायक प्राध्यापक
शा.महाविद्यालय सिलफिली
5. डॉ.एच.के.एस. गजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल

34 (ए)(३)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि

संयुक्त संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गंगपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 11/4/2018

प्र.क्रमांक | ५४६/३१५/आउशि/समन्वय/2018

प्रांतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
6. कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
7. कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अस्थिकापुर, सरगुजा।
8. समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
9. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण।



संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

SESSION

2018-19



відмінно відповісти на питання про підходи до розв'язання проблем (відм.).

Our findings concerning what may happen after a stroke are as follows:

Email: registration@valenciacm.net Phone: 971/622-2200, Fax: 971/622-2200

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 4, December 2008
DOI 10.1215/03616878-33-4 © 2008 by The University of Chicago

almanap - Biotas 07/09/2016

ଓଡିଆ

Изображение наименует здание, которое было построено в 1860 году, и называется «Санкт-Петербургский публичный библиотекарий» (бывший) в фонде Архива Центральной библиотеки им. Н.К. Крупской (бывшего) Библиотечного фонда Академии наук СССР.

$2\pi(2)(0.6) = 1.2 \times 10^{-10} \text{ GeV}^2$ (from the same reference)

(d) नामविद्यालयों में के प्राचीनविद्यालयों के विद्यार्थी के दो छात्रावस्था या शासकावस्था सही तरह उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो बुलेटिन द्वारा घोषित के अनुसार वर्ष-वर्ष के द्वारा निर्दिष्ट किये जाएंगे।

(1) दौड़ी राजकामति विधि

सामायिक प्रभावात्मक एवं विचारात्मक ग्रन्थ ही विचार सीमित रूप से सामाजिक स्थानात्मक गतिशीलताएँ, अधिकाराएँ विभिन्न समयों (१३०)

१२४ श्री रामचन्द्र

ପାଇଁ କାହାର ମୁଣ୍ଡିଲୁ କାହାର କାହାର
ଆଖିଲିଯ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

(टीन) विष्वविद्यालयों अध्यापन किमांगे तथा प्रायोगिक कानूनों में से कौन हुक्मादार्द
कोई नहीं।

(1) ✓ **સુરક્ષા અભિવિજન**

महात्मा गांधी के विचारों से ही यह
समझ प्रवर्द्धता, विकास
का एक लक्षण है।

卷之三

सामग्रीक प्रयोगात्मक एवं विभागात्मक अधिकृती किसान
राशकीय रखाना प्रकार मुलांडी गढ़विद्यालय
कीप्रयोगात्मक विभागीय विद्यालय



106

(पांच) सरका विषयों के अधिक रो अधिक दो आध्यापक, जो छुलापति छारा नाम निर्देशित किये जाएँगे।

- (1) डॉ. जेपियर कुज्जूर
राष्ट्रीयक प्राध्यापक एवं विद्यापाठ्यक्रम अंग्रेजी विद्याग
शाराकीय विज्ञान गहाविद्यालय, कोशलापुर
अग्निकापुर जिला—सारगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. एस. एन. पाण्डेय
राष्ट्रीयक प्राध्यापक अंग्रेजी
राजीव राम्धी शाराकीय स्नातकोत्तर गहाविद्यालय,
अग्निकापुर जिला—सारगुजा (छ.ग.)

(छ.) एक विद्यार्थी जो परिनियमों गें अधिकषित की गई अर्हतायें रखता हो, जो युलपति द्वारा
नियुक्त किया जायेगा:
बाद गें प्ररक्षावित किया जावेगा।

(सात) दो रादर्य जो वोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उरा विषय में या विषयों के सामूह में जिसके लिये वोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के सामूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा : वैटक के सामग्र सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) वुलपति जी द्वारा डॉ. राजकगल गिश्र, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, राजीव गांधी शासवीरीय रानातकोतर गहाविद्यालय, अग्निकापुर जिला-रारगुजा (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत आध्यान वोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्ररारणा दिनांक रो 03 वर्ष की होगी।

ਪੰਜਾਬ: ੬੩੪ / ਆਕਾਦਮੀਕ / ਅ.ਸ. / ਅੱਕੇਡੀ / 2019

अग्रिमकालीन 07/09/2019

प्रतिलिपि -

- कुलपति के सविव / कुलसचिव निजा सहायक, रांत गढिसा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
 - सागरत रावंदित रादरयगण।
 - संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रांत गढिसा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
 - पिण्डानन्तव्यक्ष / प्राचार्य, रावंदित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / गणविद्यालय
 - अधिकारी, विद्यार्थी कल्याण विभाग, रांत गढिसा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
 - सहायक कुलसचिव / विशेष कर्तव्यरक्ष अधिकारी, परिव्वा / गोपनीय / विल, रांत गढिसा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
 - उन्नरायक अधिकारी, रांत गढिसा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अभिकापुर (छ.ग.)
की. ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
 - पर्यालीलार्थ नस्ती।



६. साधायक कुलसाधिव (अकादमिक)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-३, छिंतीय एवं तृतीय तात्त्व, इन्द्रावती गवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक १४/१०/२०१८

क्रमांक १५४५ /३१५/आउशि/समन्वय/२०१८:: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३४ (ए) की उपधारा-(५) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभवन के पत्र क्रमांक एफ १४-११/२०१०/रास/यू. रायपुर, दिनांक ०३.१०.२०१७ के द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-३४ (ए) की उपधारा-(२), (३) एवं (४) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा ०३ वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
३४ (ए)(२)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अन्धिकापुर, सरगुजा
३४ (ए)(२)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. नामांकुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
३४ (ए)(३)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक रत्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. डॉ. राधाधाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. महाविद्यालय, वरपाली विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अन्धिकापुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र श. महाविद्यालय, दारामा



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

प्राचीन
विद्या
केन्द्र
महाविद्यालय
रायपुर
अंडमान और कोंकण
शासकीय महाविद्यालय
संघर्ष संचालन एवं वित्तीय संचालन
कार्यालय
रायपुर

<p>३५ (ए)(३)(iv) कुलाधिपति द्वारा</p> <p>आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ</p>	<p>1. डॉ. पारमिता द्वृष्टे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर</p> <p>2. डॉ. मधुतिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उत्तई</p> <p>3. डॉ.ए.ल.पी.मिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर</p> <p>4. श्री अमित सिंह बनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली</p> <p>5. डॉ.एच.के.एस. गोदान्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल</p>
<p>34 (ए)(३)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि</p>	<p>संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर</p>

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक 11/1/2018

प्र.क्रमांक | ५६/३१५/आउशि/समन्वय/2018

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- संस्कृत सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
- कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
- कुलसचिव, विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर।
- कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
- कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अग्निकापुर, सरगुजा।
- समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
- समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
- समस्त संबंधित अधिकारीण।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

SESSION

2017-18

**कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)**

-: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक ॥ १४ /२०१८

अधिकार अद्यक्त, उच्च शिक्षा विभाग छर्टासगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34 (ए)(2)(i) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र विलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र सरगुजा विश्वविद्यालय, अस्सिकापुर, सरगुजा
34 (ए)(2)(ii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. दिविविजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
34 (ए)(3)(iii) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, यगपाली 4. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अस्सिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र शा. महाविद्यालय, धाराना



:: 02 ::

34 (ए)(३)(v) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. पारमिता दूबे, सहायक प्राध्यापक, शा. जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. मधुलिका राय, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, उत्तराई 3. डॉ.एल.पी.भिरी, सहायक प्राध्यापक शा. जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. श्री अमित सिंह वनाफर, सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय सिलफिली 5. डॉ.एच.के.एस. गणेन्द्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल
34 (ए)(३)(v) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त
 केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

(डॉ.किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक ११/१/2018

प्र.क्रमांक | ५४६/३१५/आउशि/समन्वय/2018

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
 - संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - कुलसचिव, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 - कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
 - कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
 - कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
 - कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा।
 - समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
 - समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय।
 - समस्त संबंधित अधिकारीगण।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

SESSION

2016-17



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बेकापुर (छ.ग.)

(प्र.ग. विश्वविद्यालय (संस्थान) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail:- registrarsarang@yahoo.in

Phone:- 07774-2227790, Fax:- 222791

पंक्ति २०१२/अपग्रेडमिक/अध्ययन प्रणाले/2016

अम्बेकापुर, दिनांक/०५/०९/ 2016

अधिसूचना

छत्तीरामाढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अनुसार सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बेकापुर में जीवन विज्ञान संकायांतर्गत वनस्पतिशास्त्र विषय के लिये अध्ययन पोर्ट का गठन (संघीकार्धीन) निम्नान्सार विभाग जूता है:

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के नामों कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, उत्तरात्कोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(1) श्रीमती जीरेन ज्योति गुप्ता
राहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय राजगोहिनी देवी कन्या राहायकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बेकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) श्री शिवाकान्त गिश आजाद
राहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय लाहिंडी महाविद्यालय, चिरगिरी
जिला-नोरिया (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक नामांक्य कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, उसे उभयि (छ.ग्र.) रत्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्रीमती अन्नगोरी खलखो
राहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,
अम्बेकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) कुमारी शालिनी शांता कुजूर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली
जिला-रूरजपुर (छ.ग.)



- (पांच) अवृत विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नामित होनी चाहिए जाएंगे :
- (1) डॉ. रिजिवान उल्ला
प्राध्यापक परं विभागाध्यक्ष वनस्पति स्ट्री महाविद्यालय,
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अमिकापुर जिला—सरगुजा (प.ग.)
 - (2) डॉ. भंतोप कुमार सिंहा
प्राचार्य
के. आर. टेक्निकल कालेज, अमिकापुर
जिला—सरगुजा (छ.ग.)
- (छ:) कुलपति जी द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी :
भिन्नोद्येत वाद में परी जाएंगी।
- (सात) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :
भिन्नोद्येत वाद में किया जावेगा।

उल्लेख निम्न जो द्वारा श्रीमती जीर्णे ज्योति गुप्ता, राहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष राजीव गांधी शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या राजकोत्तर महाविद्यालय, अमिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.) को उप धारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 (4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रतीक्रिया के द्वारा दो तीन वर्ष की होगी।

प्रकाशन दिन : २२९३ अकादमिक / अध्ययन मण्डल / 2016 अमिकापुर, दिनांक २३/९/2016

प्रतिलिपि : इस एवं आंतरशक्त कार्यवाही हेतु निम्नानित को ओर अग्रेषित —

- (१) डॉ. रिजिवान उल्ला, विज्ञान शिक्षाय।
(२) राकिता देवी, विज्ञान शिक्षाय।
(३) रावीषं रादस्यगण।
(४) प्राचार्य राधिता महाविद्यालय।
(५) सहाय, कुलसचिव / विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी परीक्षा / गोपनीय / वित्त विभाग, सरगुजा (छ.ग.)।
(६) काम नरेन नरेन।

Dr. P. S. Tiwari
दी. पी. एस. तिवारी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)





सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

[व.ग. विश्वविद्यालय (संस्थापन) जारीनियम, 10/2008 द्वारा नियमित।
E-Mail: registrarxua@yahoo.in Phone: 07774-2227790, Fax: 222791]

क्रमांक ८१७६/अपगरेगिक/अध्ययन मण्डल/2016

आम्बिकापुर, दिनांक 23/09/2016

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत सरगुजा अम्बिकापुर गोपीनाथ विजयन संकायांतर्गत प्राणिशास्त्र विषय के लिये अध्ययन घोड़े की गड्ढन (स्पैशलाईन) निम्नानुसार किया जाता है:

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार वारी-वारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्रीमती जोशमिना तिर्की
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) श्रीमती ज्योति तिर्की
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जशपुर नगर जिला-जशपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री)
स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के
अनुसार वारी-वारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।

(1) श्री अमित सिंह बनाफर
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
सिलानिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) कुमारी दीपिका मिज
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय सत रामेश्वर गहिरा गुज जी महाविद्यालय, वारीचा
जिला-जशपुर (छ.ग.)



(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) डॉ. अजीत कुमार हुण्डेत
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रनातकोत्तर महाविद्यालय,
सीतापुर जिला—सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. अतुल कुमार तिवारी
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला—सरगुजा (छ.ग.)

(छ:) कुलपति जी द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी :
नियुक्ति वाद में नी जावेगी।

(सात) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :
सहयोजन वाद में किया जावेगा।

28.(3) कुलपति जी द्वारा श्रीमती जेरमिना तिर्की, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, राजीव गांधी शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला — सरगुजा (छ.ग.) को उप धारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 (4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यविधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

६२ (विनोद कुमार एकक)
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक २७७/अकादमिक/अध्ययन मण्डल/2016 अम्बिकापुर, दिनांक २३/९/2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित की ओर अंग्रेजित —

- (1) माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेपित।
- (2) संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- (3) संवंधित सदस्यगण।
- (4) प्राचार्य, संवंधित महाविद्यालय।
- (5) सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/वित्त विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- (6) कार्यालयीन नरती।

८२ MC/MS/2016
(डी. पी. एस. तिवारी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)